24.06.2026 आवेदक अर्जुन सहित श्री मुकेश तवंर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण भुगतान आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है।

प्रकरण को विधिवत सी.आई.एस. में दर्ज किया जावे।

जिला अभिलेखागार से क्लेम प्रकरण क्रमांक 129/2024 (कृपा बाई व अन्य विरूद्ध सुनील उर्फ रवि व अन्य) का अभिलेख प्राप्त। संलग्न प्रकरण किया गया।

आवेदक अर्जुन ने दिनांक 13.05.2026 को इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया था कि अवार्ड के पालन में अनावेदक बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति राशि जमा की है। आवेदक अर्जुन हरियाले को उसके कच्चे मकान की मरम्मत बरसात के मौसम के पहले कराना है, जिस हेतु उसे रुपयों की आवश्यकता है। आवेदन पत्र स्वीकार कर सावधि खाते से 1,47,006/– रुपये का नगद भुगतान किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम दावा प्रकरण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अनावेदक बीमा कंपनी को आवेदकगण के पक्ष में क्षतिपूर्ति राशि 8,70,705/– रूपये अधिकरण के समक्ष जमा करने के निर्देश देते हुऐ अधिनिर्णय की कंडिका–44 के अनुसार वितरण/भुगतान किये जाने का आदेश किया गया है।

अवार्ड राशि जमा होने के संबंध में रीडर प्रतिवेदन लिया गया है, जिसके अनुसार क्लेम प्रकरण क्रमांक–129/2024 (कृपा बाई व अन्य विरूद्ध सुनील उर्फ रवि व अन्य) अधिनिर्णय में पारित अवार्ड 01.09.2025 के पालन में अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा इंडिया बैंक, शाखा नर्मदापुरम की सावधि रसीद क्रमांक 0878642 द्वारा राशि 1,47,006/– रूपये जमा कराए गए है।

आवेदकगण द्वारा पूर्व में उनके अंश की राशि प्राप्त की जा चुकी है। आवेदक क्रमांक–2 अर्जुन हरियाले की ओर से उसके कच्चे मकान की मरम्मत हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण आवेदन पत्र के साथ मकान की छायाचित्र भी प्रस्तुत की है। आवेदक उसके मकान की मरम्मत कराना है, जिसमें राशि की आवश्यकता होना स्वाभाविक है, इस पर किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः आवेदक की सद्भाविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये उसकी ओर से प्रस्तुत भुगतान आवेदन पत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आवेदक क्रमांक–2 अर्जुन हरियाले के नाम की सावधि रसीद राशि **0878642** राशि **1,47,006/– रुपये** की राशि नगद बचत खाते के माध्यम से प्रदान की जावे।

आवेदक क्रमांक–2 अर्जुन हरियाले को सावधि खाते का भुगतान समय पूर्व किये जाने के संबंध में बैंक को पत्र जारी किया जावे।

तद्नुसार इस आवेदन पत्र का निराकरण किया जाता है।

प्रकरण समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–

DINESH KUMAR NOTIYA
Digitally signed by DINESH KUMAR NOTIYA
Date: 2026.06.24 16:18:21 +0530

(दिनेश कुमार नोटिया)
सदस्य
प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधि.
नर्मदापुरम (म0प्र0)